

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(120)एम.ई./ग्रुप-1/2005

जयपुर, दिनांक 7/11/2017

आदेश


इस विभाग के आदेश दिनांक 21.07.2017 द्वारा डॉ० रणवीर सिंह चौधरी, सहायक आचार्य, नेफ्रोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में किया गया था। डॉ० चौधरी को आदेश जारी होने की दिनांक से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति देनी थी।

डॉ० चौधरी को स्वयं के निवेदन पर कार्यग्रहण हेतु एक माह का कार्यग्रहण करने में अभिवृद्धि प्रदान की गई। तत्पश्चात् इनके द्वारा पुनः आवेदन किये जाने पर इन्हें 15 दिवस में कार्यग्रहण करन हेतु आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया कि यदि 15 दिवस में कार्यग्रहण नहीं करते हैं तो इनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। इसके उपरान्त भी डॉ० चौधरी द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया गया। उक्त वस्तुस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि डॉ० चौधरी नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर नियुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक नहीं है।

डॉ० रणवीर सिंह चौधरी के निर्धारित समय में पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनका नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

अतः रणवीर सिंह चौधरी के पक्ष में जारी उपरोक्त वर्णित नियुक्ति आदेश दिनांक 21.07.2017 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से


(राजन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज० जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को विभाग के आदेश क्रमांक 1(119)एम०ई०ग्रुप-1/2005 दिनांक 21.07.2017 के सन्दर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
6. डॉ० रणवीर सिंह चौधरी पुत्र श्री हनुमान लाल चौधरी, पता:- प्लॉट नं० 4 ए, तिरुपति फ्लैट्स, परमब्रह्म अस्पताल के पीछे, करधनी के पास, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा झोटवाडा, जयपुर-12 (रजिस्टर्ड डाक)
7. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव